पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1704
दिनांक-18.07.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- **क्राइम टीम पूर्वी जोन व थाना गाजीपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सचिवालय कालोनी में एसी रिपेयर के बहाने महिला पर हमला व बल प्रयोग कर पहनी हुई कान की बाली लूटने वाले 02 नफर अभि0गण को किया गया गिरफ्तार**
- **अभि0गण के कब्जे से लूटी गयी 02 अदद कान की बाली बरामद**

सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.25 को वादी मुकदमा श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 राजा राम पाण्डेय नि0 म0न0 B-32 सचिवालय कालोनी थाना गाजीपुर, लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षीगण द्वारा 02 अज्ञात लड़कों द्वारा वादी मुकदमा के घर पर एसी रिपेयर करने की बात बताते हुए वादी की पत्नी शशि पाण्डेय के हाथ व गले पर धारदार हथियार से हमला कर उनके कान में पहनी हुई बालियों को लूट कर भाग जाने के सम्बन्ध में सूचित किया। वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0स0 238/2025 धारा 309(6) बी.एन.एस. बनाम – 2 लडके नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। मौके पर घटना स्थल पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा जाकर घटना स्थल का मुआयना करते घटना को चुनौतीपूर्ण लेते हुए घटना का सफल अनावरण व घटना में सम्मलित व्यक्तियो/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं जमीनी सूचना तन्त्र एवं सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु लगातार भरसक प्रयास किया जा रहा था।

आज दिनांक 18.07.25 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की तलाश में मामूर थी कि जरिये अभिसूचक जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभि0 बस्तौली तालाब के पास मौजूद हैं। उक्त सूचना पर थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा बस्तौली तालाब के पास पहुँचकर अभि0गण 1. चिरकू उर्फ कपिल पुत्र वीरेन्द्र कश्यप नि0 समौद्दीपुर इन्दिरानगर थाना गाजीपुर, लखनऊ स्थायी पता पर्वतपुर सिंधौली, थाना संधना, जिला सीतापुर उम्र लगभग 20 वर्ष व 2. मोगली उर्फ रामधीरज कश्यप पुत्र रामभजन कश्यप नि0 फरीदीनगर कनौसी स्कूल के पास कालू बाबा मन्दिर थाना इन्दिरानगर लखनऊ स्थायी पता ग्राम बरूहा बनौरा चौराहा जलालपुर के पास थाना खैराबाद जनपद सीतापुर उम्र लगभग 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 अदद बाली बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1706
दिनांक-18.07.2025

पूर्वी जोन /थाना गोमतीनगर विस्तार

- 01 नफर वांरटी (NBW) अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाही: –

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर महोदय के पर्यवेक्षण एवं कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक थाना गोमती नगर विस्तार श्री सुनील कुमार यादव के निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.07.2025 को NBW के 01 नफर वांछित अभियुक्त ओम प्रकाश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम दोपैडिया थाना जमुनाहा जनपद बहराइच हालपता सोसायटी सहारा अस्पताल के गेट नं0 3 के सामने भरवारा क्रासिंग विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष को उसके हाल पते वाले घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध जारी किये गये 03 अदद अलग-अलग अभियोगो में गैर जमानतीय वारण्ट (NBW) के अनुपालन में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1. ओम प्रकाश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम दोपैडिया थाना जमुनाहा जनपद बहराइच हालपता सोसायटी सहारा अस्पताल के गेट नं0 3 के सामने भरवारा क्रासिंग विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष

अभियोग का विवरण :-

NBW मा0 न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश-17 लखनऊ (1) वाद सं0- 1631/2024 अ0सं0 134/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ, (2) वाद सं0-1628/2024 अपराध संख्या 21/2023 धारा 380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ व (3) वाद संख्या 1629/2024 अपराध सं0 115/2023 धारा 380/457/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ बनाम ओम प्रकाश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम दोपैडिया थाना जमुनाहा जनपद बहराइच हालपता सोसायटी सहारा अस्पताल के गेट नं0 3 के सामने भरवारा क्रासिंग विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: –

1. उ0नि0 श्री देवानन्द सिंह बीट प्रभारी छोटा भरवारा, थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
2. उ0नि0 अभय कुमार सिंह चौकी प्रभारी खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. उ0नि0 शुभम अवस्थी थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
4. उ0नि0 श्रीकान्त थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
5. उ0नि0 श्री सत्यम गुप्ता थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1708

दिनांक-15.07 2025

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

- मंदिर की दान पात्र पेटिका चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से चोरी के1100/-रूपये बरामद किये गये।
- थाना पीजीआई पुलिस टीम चोरी का सफल अनावरण।

01-कार्यवाही विवरण-

थाना पीजीआई, टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र चौधरी इन्क्लेव , निलमथा रोड ,(निकट मंशा पैलेस) के गेट पर श्री बालाजी मंदिर से दान पात्र पेटिका चोरी करने वाला01 नफर शातिर अभियुक्त-रोहन सिंह पुत्र स्व0 ओम प्रकाश सिंह निवासी भगवन्त नगर नीलमथा थाना कैण्ट जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्षआज दिनांक 18.07.2025 को वृन्दावन गेट के पास नहर वाली रोड से गिरफ्तार करते हुए चोरी के1100 रूपयेकी बरामद किया गये।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-30.06.2025 को वादी श्री गणेश कुमार पाल चौधरी इन्कलेव नियर मंशा पैलेस निलमथा रोड लखनऊ लिखित तहरीर द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात चोर द्वारा चौधरी इन्कलेव, निलमथा रोड,(निकट मंशा पैलेस) के गेट पर बने श्री बालाजी मंदिर से दान पात्र पेटिका चोरी करने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना पीजीआई पर मु0अ0स0 317/2025 धारा 305 बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊपर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया।

जिसमें थाना स्थानीय से टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरान्त सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यो के आधार पर घटना में शामिल 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

03-मॉड्स आपरेंडी-

अभियुक्त नशे का आदी है नशा पूरा करने के लिए चोरी करने का अभ्यस्त अपराधी है।

04-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि नशा करने के लिएमंदिर के दान पात्र पेटिका की चोरी की थी।

05-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0स0 317/2025 धारा 305 व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

06-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

01-रोहन सिंह पुत्र स्व0 ओम प्रकाश सिंह निवासी भगवन्त नगर नीलमथा थाना कैण्ट जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष (मॉडलिंग, 12 वीं तक पढ़ा है)

07-अभियुक्त रोहन सिंहआपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 317/2025 धारा 305 व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 495/2014 धारा 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471भादवि थाना पीजीआई लखनऊ
3. मु0अ0सं0 159/2018 धारा 302/323/34 भादवि थाना कैंट जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 181/2014 धारा 379/411 भादवि थाना कैंट जनपद लखनऊ

08-बरामदगीः-

कुल 1100/-रूपये बरामद।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह थाना पीजीआई लखनऊ
2.उ0नि0 श्री दिनकर वर्मा थाना पीजीआई लखनऊ
3. उ0नि0 श्री पंकज नायकथाना पीजीआई लखनऊ
4. का0 सुमित कुमारथाना पीजीआई लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1705
दिनांक-18.07.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- **थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त द्वारा आरएसएस ग्रीनलैण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 कम्पनी खोलकर जनता के लोगों को जमीन देने के नाम पर लाखों रुपयों का गबन किया गया तथा पैसा/प्लाट वापस मांगने पर ना तो प्लाट दिया गया ना ही पैसा वापस किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.01.2024 को वादी मुकदमा श्री प्रमोद कुमार निवासी 371/53 न्यू गोविन्दपुरी कंकर खेडा मेरठ के प्रार्थना-पत्र बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी को जमीन देने के नाम पर कुल 5 लाख 40 हजार रुपये ले लेना व न तो जमीन देना व न तो पैसे वापस करने के संबंध में थाना स्थानीय पर **मु.अ.सं. 0023/2024 धारा 409/420 भादवि** बनाम **आरएसएस ग्रीनलैण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0** के मैनेजिंग डायरेक्टर रविन्द यादव व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

उक्त घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विपक्षी कम्पनी आरएसएस ग्रीनलैण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 के डायरेक्टर्स द्वारा लोगों से जमीन देने के नाम पर लाखों रुपयों का गबन किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त शिवकुमार यादव का नाम प्रकाश में लाया गया तथा धारा 120-बी की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांक 17.07.2025 को घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त शिवकुमार यादव को थाना क्षेत्र चिनहट से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देशयः-

उक्त वांछित अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के मिलकर वादी मुकदमा से प्लाट/जमीन के नाम पर रजिस्ट्री कर लाखों रुपयों का गबन किया गया प्राप्त से पैसों से अपने निजी शौक पूरा करते थे।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 हरीराम यादव निवासी धावा इमिलिहा थाना चिनहट जिला लखनऊ हालपता देवारोड राय इन्कलेव गेट के बगल मकान अभियुक्त थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 63 वर्ष

04- अनावरित अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 0023/2024 धारा 409/420/120-बी भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

05- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 0023/2024 धारा 409/420/120-बी भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

नोटः- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपद/इकाई/थाने से की जा रही है।

06-गिरफ्तारी करने वाली थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. श्री अर्जुन सिंह,
2. उ.नि. श्री विशाल सोनकर,
3. हे.कां. अशोक मिश्रा,
4. म.कां. डाली मिश्रा